



Neutral Citation No. - 2026:AHC:169643

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 6205 वर्ष 2026

एहसान आलम उर्फ भूरा

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के लिए अधिवक्ता : जीतेन्द्र सिंह, सौरभ त्रिपाठी

प्रतिपक्षी(गण) के लिए अधिवक्ता : शैलेश कुमार, शासकीय अधिवक्ता, रेखा जायसवाल

न्यायालय संख्या - 67

माननीय न्यायमूर्ति जीतेन्द्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री जितेंद्र सिंह, राज्य के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री सी.एस. सरन और उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति की विद्वान अधिवक्ता सुश्री रेखा जायसवाल को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।
2. प्रथम सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के रूप में श्री शैलेश कुमार का नाम प्रदर्शित होता है, लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए। जब 6.8.2026 को मामले की सुनवाई हुई, तब भी वे उपस्थित नहीं थे और मामले को आज सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया था। यह स्पष्ट कर दिया गया था कि यदि अगली तिथि को पहली पुकार में प्रथम सूचनाकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं होता है, तो मामले की सुनवाई उनकी अनुपस्थिति में ही की जाएगी।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. यह जमानत आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 491 वर्ष 2025, अंतर्गत धारा 137(2), 115(2), 65(1) भारतीय न्याय संहिता और धारा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, पुलिस स्टेशन जलालाबाद, जिला शाहजहाँपुर में विचारण की लंबितता के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया

है और पीड़िता विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष मुकर गई है और उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों का समर्थन नहीं किया है। आगे यह भी बताया गया है कि पीड़िता की आयु रेडियोलॉजिकल जांच के अनुसार 15 वर्ष पाई गई है। यह भी बताया गया है कि पीड़िता की चिकित्सा-कानूनी रिपोर्ट बलात्कार की पुष्टि नहीं करती है। यह भी बताया गया है कि आवेदक 18.10.2025 से जेल में दिन काट रहा है और उसे आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अंत में निवेदन किया जाता है कि यदि उसे जमानत दी जाती है तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

5. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता और उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति की विद्वान अधिवक्ता ने जमानत हेतु प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है, लेकिन वे उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

6. प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोप के अनुसार, अभियुक्त ने प्रथम सूचनाकर्ता की बेटी को बहला-फुसलाकर अगवा कर लिया था। हालांकि, पीड़िता ने विचारण न्यायालय के समक्ष अपना अभिकथन बदल दिया है और उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट के आरोपों का समर्थन नहीं किया है। रेडियोलॉजिकल जांच के अनुसार पीड़िता की उम्र 15 वर्ष पाई गई है और पीड़िता की चिकित्सा-कानूनी रिपोर्ट बलात्कार के आरोप का समर्थन नहीं करती है। अभियुक्त 18.10.2025 से जेल में दिन काट रहा है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

7. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों, अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, जेलों में अत्यधिक भीड़ और विचारण न्यायालयों में आपराधिक मामलों के भारी लंबितता होने, साथ ही **कपिल वधावन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो** 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038 में प्रतिवेदित, मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** 2024 एससीसी ऑनलाइन इलाहाबाद 6765 में प्रतिवेदित, मामले में इस न्यायालय के जमानत देने संबंधी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



8. तदनुसार, वर्तमान आवेदन को स्वीकार किया जाता है।

9. उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक- **एहसान आलम उर्फ भूरा** को संबंधित न्यायालय की

संतुष्टि के अनुरूप उसके व्यक्तिगत बंधपत्र और दो जमानती, प्रत्येक समान राशि के प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उन्हें न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(ii) आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए विचारण/विवेचना में पूरी ईमानदारी से सहयोग करेगा।

(iii) जमानत पर रिहा होने के बाद आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा या कोई अपराध नहीं करेगा।

(iv) आवेदक को उसके द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित होना होगा।

10. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, जमानत रद्द करने का यह एक आधार होगा।

11. जमानत स्वीकार किए जाने से पहले आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाए। आवेदक और जमानतदारों के मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का सत्यापन भी संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।

12. इसके अलावा यह भी निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजे ताकि आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित हो सके।

13. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह जमानत देने के लिए नीति रणनीति अंतर्गत संदर्भ: स्वतः संज्ञान रिट याचिका (क्रिमिनल) संख्या 4 वर्ष 2021, निर्णीत दिनांक 31.01.2023, (2024) 10 एससीसी 685 में प्रतिवेदित, के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में इस आदेश की एक प्रति संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से आवेदक को ई-मेल या ई-जेल पोर्टल के माध्यम से 24 घंटे के भीतर भेजे।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा)

12 अगस्त, 2026

अभिषेक

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”